न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 23/2020

GCMS NO. : 2020/00056

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

प्रार्थीगण:

1. आसुराम पुत्र गणेशराम फौत के का.मु.
   1/1. श्यामलाल पुत्र आसुराम
   1/2. चुतराराम पुत्र आसूराम
   1/3. मोरकी पत्नी आसुराम
   1/4. शारदा पुत्री आसुराम
   1/5. शांति पुत्री आसुराम
   1/6. लाडीदेवी पुत्री आसुराम

   जातियान– बावरी, निवासीगण बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली।

अप्रार्थीगण:

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 ढगलाराम
2. भोमाराम पुत्र स्व0 ढगलाराम
3. सोहनी पत्नी स्व0 ढगलाराम
4. इन्द्रा पुत्री स्व0 ढगलाराम
5. पप्पु पुत्री स्व0 ढगलाराम
6. नीतू पुत्री स्व0 ढगलाराम
7. मुन्नी पुत्री स्व0 ढगलाराम
8. गुदडराम पुत्र सुखा
9. घासीराम पुत्र सुखा
10. कोयली पत्नी सुखा
11. बंशीलाल पुत्र गणेश
    जातियान– बावरी, निवासीगण बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली।
12. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 21/04/2022

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री धीरवीरसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 11

–:: निर्णय :– दिनॉक: 31/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की सामलाती कब्जे काश्त की [illegible] 712 रकबा 92 बीघा 06 बिस्वा आई हुई है। जिसमें सभी खातेदार [illegible] अपने–अपने हिस्से अनुसार माफिक कब्जे काश्त अनुसार काबिज होकर काश्त करते [illegible] आ रहे है। खातेदार एवं पक्षकारान सायल एवं गैरसायलान के मध्य [illegible] अनुसार बंटवाड़ा हो [illegible] है तथा उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अनुसार काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आपसी समझाईस से ही अपने-अपने रहवासी मकान बनाने एवं उपयोग उपभोग बिना किसी दखलन्दाजी के रखने की सहमति भी हो रखी है तथा इसी अनुसार कृषि भूमि का भी हो रखा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के अनुसार बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में सामलाती ही दर्ज होने से गैरसायलान आए दिन किसी न किसी तरीके से सायल की काबिज काश्त की कृषि भूमि की मांठ बाड आदि का बिखेर देते है तथा विवाद पैदा करते है। इस पर सायल ने गैरसायलान एवं सहखातेदारों से उक्त कृषि भूमि का अपने कब्जे काश्तअनुसार कानूनन बंटवाड़ा करवाने का केई बार निवेदन किया तथा सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। जिस पर गैरसायलान संख्या 1 से 7 तक ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा सायल ने दिनांक 15/06/2020 को अपने हक हिस्से एवं काबिज काश्त अनुसार मौके तविया निकालने लगा तो उसका विरोध किया तथा एलानिया कथन किया कि अब इस उपजाऊ कृषि भूमि को हम बोयेंगे तथा सायल द्वारा निकाली गई तविया को उल्टा कर दिया तथा खुर्द बुर्द किया तथा आपस में हुई आपसी लिखापढी सहमति को भी मानने से इन्कार कर दिया। इसलिए इन तमाम परिस्थितियो में सायल अपने हक हिस्से का मौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से यह प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा सायल का मौके पर अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है। यदि गैरसायलान बिना बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा संख्या 712 रकबा 92 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि में सायल अपने हक हिस्सेनुसार पूर्व काबिज काश्त अनुसार काश्त होकर काश्त करें तो उसमें गैरसायलान स्वयं, उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा गैरसायलान उक्त भूमि का रहन, बेचान, बक्सीस आदि अन्य हस्तान्तरण नहीं करें एवं मौके तथा राजस्व रेकर्ड की स्थिति में रद्धोबदल परिवर्तन खुर्द बुर्द नहीं करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैर[illegible] संख्या 8 से 10 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई परन्तु सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 1 लगायत 7 व 11 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1 लगायत 7 व 11 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। पैरा संख्या 2 में वर्णित कथन सही है पक्षकारों का आपसी समझाईस अनुसार बंटवाडा हो रखा है तथा कृषि भूमि में भी अपने–अपने हक हिस्से अनुसार कृषि कार्य किया जा रहा है। इस हेतु राजस्व रेकर्ड में भी हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाये तो गैरसायलान् संख्या 01 लगायत 07 व 11 सहमत है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित तमाम गलत बेबुनियाद मनगढन्त व प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से लिखे गयें है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 712 की भूमि पर सभी काश्तकार अपने–अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आपसी सहमति अनुसार ही पक्षकारान् का कब्जा काश्त चला आ रहा है यह कथन भी सत्य है कि अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के अनुसार बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में सामलाती ही दर्ज है लेकिन यह कथन असत्य है कि गैरसायलान् 1 लगायत 7 व 11 सायल के कब्जे व काश्त की कृषि भूमि की मांठ–बाड आदि बिखेर देते है और विवाद पैदा करते है उक्त कथन भी असत्य है। सायल ने ना तो कभी गैरसायलान संख्या 01 लगायत 7 व 11 से काश्त अनुसार कानूनन बंटवाडें हेतु निवेदन किया। पैरा संख्या 03 में वर्णित कथन में कथित तथ्य कि गैरसायलान संख्या 01 लगायत 07 ने सायल को किसी प्रकार के कब्जा व काश्त से बेदखल करने व ऐलानिया धमकी वाले कथन असत्य, मिथ्या व मनगढन्त है। गैरसायलान संख्या 01 लगायत 07 व 11 कब्जा काश्तानुसार भूमि का बंटवाडा करने हेतु सहमत है। इसके अलावा इस पैरा में लडाई झगडा व अन्य वर्णित तथ्य मनगढन्त एवं झुठे है उक्त आराजी भूमि में माफिक कब्जा हक हिस्से अनुसार उक्त कृषि भूमि को हक हिस्सें अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाये तो गैरसायलान् संख्या 01 लगायत 07 व 11 सहमत है एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र को सादर खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित तमाम गलत बेबुनियाद मनगढन्त व प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से लिखे गयें है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि इस पद में वर्णित तथ्य जिसमें गैरसायलान को बदमाश प्रवृति एवं झगडालु प्रवृति के बताया गया है जो कि सरासर मिथ्या व मनगढन्त है ना तो कभी गैरसायलान ने सायल द्वारा अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर निकाली गई तवियो पर उल्टी तविया निकालने की बात भी मिथ्या व मनगढन्त है। इसके अलावा इस पैरा में लडाई झगडा व अन्य वर्णित तथ्य मनगढन्त एवं झुठे है। इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र को खारिच फरमावें। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कथन गलत, बेबुनियाद, मिथ्या व मनगढन्त है। यह तमाम कथन प्रार्थना पत्र पेश करने की नियत से लिखे गये है जबकि कोई बि... नही होता है इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र को खारिज फरमावें। त... परिस्थितियों एवं दस्तावेज की रूह से सायल का नही बल्कि गैरसायलान संख्या ... लगायत 07 व 11 का मौके पर अपने हक हिस्से बंट की भूमि... प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सन्तुलन हर दृष्टिकोण से गैरसायलान् संख्या 01 लगायत 07 व 11 के पक्ष में है। यदि गैरसायलान संख्या 01 लगायत 07 व 11 के दियें नजरी नक्शे अनुसार कब्जा काश्त का मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा के जवाब दावें के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार बंटवाडा करवाया जावे तो गैरसायलान के कोई आपति नही है इसलिये सायल को अपूरणीय क्षति नही होकर गैरसायलान को अपूरणीय क्षति हैं। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि सरहद मौजा बलाडा पटवार हल्का बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित खसरा संख्या 712 रकबा 92-06 बीघा कृषि भूमि में तरमीम का आदेश फरमाते हुयें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भू-अभिलेखीय दस्तावेजात यथा जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम बलाडा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने बाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थीगण/सायलान ने मौके पर अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में होने के कथन किये है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा.पत्र में यह कथन किया कि उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो इसमें गैरसायलान संख्या 1 से लगायत 7 व 11 को कोई आपत्ति नहीं है। सह-खातेदारी भूमि के संबन्ध में यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सह-खातेदार का सह-खातेदारी भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण आराजी के संबंध में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। साथ ही, प्रार्थीगण का सम्पूर्ण आराजी के संबंध में किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला है, यह प्रार्थीगण साबित करने में विफल रहे है। लिहाजा यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह-खातेदारी की संयुक्त भूमि है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह-अभिधारी का अपने [illegible] के सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण अराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। साथ ही सह-खातेदारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें कृषि भूमि से संबंधित अपने हक-अधिकार के उपयोग/उपभोग में कठिनाई उत्पन्न होगी। जिससे निश्चित ही इन्हें अधिक असुविधा कारित होगी। फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सह-खातेदार है तथा प्रत्येक सह-खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होना संभव है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सम्पूर्ण आराजी के संबंध में अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण /वादीगण अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:38 IST
Reason: SelfAttested